

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री शिवलाल
किस्म मुकदमा - 136 भू रा.अधि.

विपक्षी :- राज्य
पत्रावली संख्या : 141/24
जीसीएमएस : 2024/526

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्द तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|---|---|
| | <p>दिनांक : 27.05.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम सवा पिता किशना गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत तुलसीदास जी की सराय द्वारा दिनांक 11.11.2024 को जारी प्रमाण पत्र की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र नोजीराम पिता गंगाराम भील, धुलाराम पिता डालु भील का पेश किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम शिवलाल पिता कन्ना अंकित होना जाहिर होता है। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर सवा पिता किशना भील व शिवलाल पिता कन्ना भील दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मोतीखेडा पटवार हल्का तुलसीदास जी की सराय तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 116 पर दर्ज आराजी नम्बर 3443, 3479 एवं खाता संख्या 63 पर दर्ज आराजी नम्बर 3474 भूमि में खातेदार सवा पिता किशना के बजाय सवा उर्फ शिवलाल पिता किशना उर्फ कन्ना संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p> | |

